

तकनीकी सर्कुलर-DLI/RSO-02/2024

विषय :- खण्ड DLI-DKZ/SZM & back, NDLS-DLI & back के मध्य डफ्रिन ब्रिज व पुल मिठाई न्यूट्रल सैक्शन पर VCB खोलने के संबंध में।

वर्तमान में कुछ ऐसे मामले सामने आये जिसमें यह देखा गया कि लोको डफ्रिन ब्रिज या पुल मिठाई न्यूट्रल सैक्शन के नीचे खड़ा हो गया। दूसरे लोको के द्वारा पुश करने के बाद गाड़ी/लोको का प्रस्थान साइट से करवाया गया। जाँच में पाया गया कि कुछ लोको पायलट की खराब ड्राइविंग तकनीक के कारण लोको न्यूट्रल सैक्शन के नीचे खड़ा हो गया व गाड़ियों में समय हानि का कारण बना।

अतः लोको पायलट गाड़ी कार्य के दौरान उपरोक्त न्यूट्रल सैक्शन पर निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें :-

- दिल्ली जं. से स्टार्ट/पास होते समय गति प्रतिबंध के अनुसार गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति को प्राप्त करें।
- दिल्ली यार्ड में कम स्पीड व अप ग्रेडिण्ट (1:292) के साथ कर्व (3.4°) कर्व होने के कारण न्यूट्रल सैक्शन के पास पहुँचते समय थोटल को '0' पर करके DJ OPEN BOARD पर ही VCB खोलें।
- न्यूट्रल सैक्शन के पास होते ही DJ CLOSE BOARD पर तुरन्त VCB को क्लोज करके आवश्यकतानुसार लोको में नॉच अप/ट्रैक्शन लें।
- NDLS, DKZ & SZM से दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने पर उपरोक्त के अनुसार ही अत्यधिक सतर्कता पूर्वक VCB खोले व बन्द करें।
- दिल्ली में सब्जी मण्डी की तरफ शंटिंग के दौरान न्यूट्रल सैक्शन से पहले पर्याप्त निर्धारित गति होना सुनिश्चित करें।
- सभी लोको पायलट इस खण्ड में गाड़ी कार्य करते समय भौगोलिक स्थिति के अनुसार अत्यधिक सतर्क रहें।

अतः सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित व गैर नामित स्टॉफ को उपरोक्त के संबंध में काउंसल व फुटप्लेट करें तथा इसकी रिपोर्ट दिनांक 11.04.2024 को मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें या "CLI Report" नामक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। इसे अति आवश्यक समझें।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

- मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ।
- अपर मण्डल रेल प्रबंधक/परिचालन/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ।
- मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली- सूचनार्थ।
- वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा अधिकारी/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/चिपियाना/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे-आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त मुख्य लोको निरीक्षक (दिल्ली मण्डल) - आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद/उत्तर रेलवे-आवश्यक कार्यवाही हेतु।